कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई

ई–प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना संख्या :– 01/ई0ई0/2019–20

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन http://etender.up.nic.in के माध्यम से टेक्निकल/फाइनेंशियल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत सिविल कार्यों में दक्ष एवं अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/प्रतिष्ठानों से **दिनांक 20.06.2019 के 11.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है, जिसकी टेक्निकल बिड **दिनांक 20.06.2019 को 12.00** बजे समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिड में क्वालीफाइड होने वाले निविदादाताओं की फाइनेन्सियल बिड **उसी दिन 14.00 बजे** खोली जायेगी। **निविदा 14.06.2019 को 10.00 बजे से** डाउनलोड/अपलोड/सबमिट की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह ई–निविदा अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम	कार्य का विवरण (बिल ऑफ क्वन्टिटी के अनुसार)	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	स्टेशनरी + (निविदा प्रपत्र का मूल्य +18 प्रतिशत जी0एस0टी0)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	Earth work in clearance of Chhoiya drain from km 0.000 to 46.400	23.02	230200.00	10 दिवस	2000+500+90 = **2590.00**	सी एवं उच्च श्रेणी
2	Earth work in clearance of Sukheta drain 30.000 km	24.98	249800.00	10 दिवस	2000+500+90 = **2590.00**	सी एवं उच्च श्रेणी

नियम व शर्तें :–

1. यह ई–निविदा सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट **http://upgov.nic.in**, तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट **http://irrigation.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।
2. निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है।
3. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न अभिलेख/जानकारी की स्कैन प्रतिलिपि को प्री–क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
   1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की निर्धारित श्रेणी में प्रंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   2) निविदा मूल्य धनराशि जमा करने का ट्रेजरी चालान की प्रति।
   3) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र–प्रमाण–पत्र (IDT-1)।
   4) हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)।
   5) स्व–घोषणा शपथ–पत्र (IDT-3) जो कि रु0 100/– स्टाम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो सहित नोटैरी द्वारा सत्यापित हो।
   6) पैन कार्ड।
   7) आयकर चुकता प्रमाण–पत्र।
   8) श्रम विभाग द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   9) निविदादाता का जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र।
   10) धरोहर धनराशि, जो कि "अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई" के नाम बन्धक हो।
4. ज्वाइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
6. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों के पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. निविदा दाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है।
8. उपरोक्त कार्यों की निविदायें धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही हैं। धनांवटन कम प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की दशा में एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदायें निरस्त की जा सकती हैं। धन प्राप्त होने पर, उपलब्ध धन से तत्समय कार्य की महत्ता के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
9. निविदादाता निविदा डालने से पूर्व विभागीय नियमों व शर्तों का संज्ञान लेते हुए कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की स्थिति एवं परिस्थिति से भलीभांति भिज्ञ हो लें।
10. निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 एवं स्टेशनरी चार्ज सहित ट्रेजरी चालान के माध्यम से जनपद हरदोई के कोषागार (कोड–4700) में **लेखाशीर्षक 0701–80–800–01–00 राजस्व मद** में जमा किया जायेगा। चालान में निविदा सूचना संख्या, लॉट संख्या तथ सम्बन्धित कार्य का पूर्ण विवरण स्पष्ट रुप से अंकित करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य ट्रेजरी चालान द्वारा **"अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई"** के पक्ष में जमा किया जायेगा। ट्रेजरी से प्राप्त प्राप्तगी रशीद की मूल प्रति का स्कैन कर ई–पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की निविदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को टेक्निकल बिड के साथ रु0 100/– ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर रु0 1/– का रशीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी होगी। न्यूनतम निविदादाताओं को निविदा स्वीकार होने के पश्चात मूल अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियमानुसार जी0एस0टी0 आदि प्रचलित टैक्स देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

12. अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अथवा टी0डी0आर0 के रुप में जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हों ("अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई" के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है) की स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रुप में बैंक गारण्टी मान्य नहीं होगी। अनुबन्ध के समय मूल रुप में वांछित प्रतिभूति के अभिलेख जमा कराना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या–01/2018/3070/78–2– 2018/42 आई0टी0/2017(22)/दिनांक 03.01.2018 के बिन्दु संख्या–04 के अनुसार ई–टेण्डरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैन कॉपी व प्रतिभूति प्रमाण–पत्र विभाग के नाम बन्धक कराने पर प्राप्त ट्रान्जैक्शन नम्बर को भी निविदा के समय वेबसाइट पर डाली जायेगी तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रुप से विभाग को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए जायेंगें। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूल रुप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता को अपात्र घोषित करते हुए उसके विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी।

13. प्रथम न्यूनतम निविदादाता की बिड Unresponsive हो जाने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता स्वतः प्रथम न्यूनतम निविदादाता हो जायेगा तथा उन्हें मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया जायेगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रथम न्यूनतम निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

14. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी के निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय "अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई" से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

15. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रुप से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

16. यह संज्ञान में आने पर किसी भी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध होग भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा।

17. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

18. राज्यवार काउंसिलिंग में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगें।

19. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दवाब/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदादाता की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

20. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरु होने के पश्चात किसी भी कार्य के सम्बन्ध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया शुरु होने पश्चात ऑनलाइन निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशेधन/शुद्धि पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जानकारी निविदादाता की ही होगी।

21. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रस्तावित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

22. निविदा से सम्बन्धित विस्तुत एवं अन्य जानकारी कार्यालय **"अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खण्ड शारदा नहर हरदोई"** से भी प्राप्त की जा सकती है।

23. शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0/दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की दर विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा दी गई निविदत्त दर 1 से 10 प्रतिशत तक कम होने पर 0.5 प्रतिशत की कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों की कमी पर 01 प्रतिशत की कमी पर अतिरिक्त परफार्मेन्स धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यह परफार्मेन्स धनरोहर धनराशि निविदा में उल्लिखित धनरोहर धनराशि के अतिरिक्त देय होगी तथा अनुबन्ध के समय उक्त परफार्मेन्स धरोहर धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर धरोहर धनराशि तथा परफार्मेन्स विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

24. अनुबन्ध के समय निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा।

25. नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगा।

26. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्त की अवधि 02 वर्ष बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के कार्य के लिए प्रतिबन्धित होंगें। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है, तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

27. The following points for eligibility criteria :-

i. Average annual financial turn over during the last 03 years ending 31 march of the previous year. should be at least 30% of the amount of work.

ii. Experience of having succesfully completed similar work during last 7 years ending last day of month previous to the one in which application are invited should be either of the following.

a) Three similar completed works costing not less than amount equal to 40% of the amount of work.

or

b) Two similar completed works costing not less than amount equal to 50% of the amount of work.

or

c) One similar completed works costing not less than amount equal to 80% of the amount of work.

iii. Similar works are clearly defined in technical bid documents.

अधिशासी अभियन्ता

हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई